दिनांक 11 अगस्त, 1987

सं. ओ. वि./यमुनानगर/22-87/31720.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, चण्डीगढ़, (2) चीफ इन्जि०, हाईडल प्रोजेक्ट, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, गोबिन्दपुरी, यमुनानगर, (3) कार्यकारी अभियन्ता, चेनल नं० 2, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, भूड़कलां, डा० खिजराबाद, जिला अम्बाला के श्रमिक श्री अमरनाथ, पुत्र श्री साधू राम मार्फत डा० सुरेन्द्र कुमार शर्मा महा मन्त्री, इटक धर्मशाला ब्राह्मण रेलवे रोड, जगाधरी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3 श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम, की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री अमरनाथ की सेवाओं का समापन/छांटी न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

स. ओ. वि./यमुनानगर/33-87/31728.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि (1) सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, चण्डीगढ़,, (2) चीफ इन्जि०, हाईडल प्रोजेक्ट, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, गोविन्दपुरी, यमुना नगर, (3) कार्यकारी अभियन्ता, चेनल नं० 2, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, भूड़कलां, डा० खिजराबाद, जिला अम्बाला के श्रमिक श्री मंगतू राम, पुत्र श्री मुकन्दा राम मार्फत डा० सुरेन्दर कुमार शर्मा महा मन्त्री, इन्टक धर्मशाला ब्राह्मण रेलवे रोड, जगाधरी तथा इसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44) 84-3 श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री मंगतू राम की सेवाओं का समापन/छांटी न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं. ओ.वि./यमुनागनर/31-87/31736.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) सचिव, हरियाणा बिजली राज्य बोर्ड, चण्डीगढ़, (2) चीफ इन्जि०, हाईडल प्रोजेक्ट, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, गोबिन्दपुरी, यमुना नगर, (3) कार्यकारी अभियन्ता, चेनल नं० 2, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, भूड़कलां, डा० खिजराबाद, जिला अम्बाला के श्रमिक श्री जयपाल, सिंह, पुत्र श्री मोलड़ सिंह मार्फत डा० सुरेन्द्र कुमार शर्मा, महा मन्त्री, इटक धर्मशाला ब्राह्मण रेलवे रोड जगाधरी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है :—

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाव इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० (44) 84-3 श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री जयपाल सिंह की सेवाओं का समापन/छांटी न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?